12.03.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थनापत्र पर वकुलाय फरिकेन की प्रस्तुत बहस सुनी गई।

बहस के दौराने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावें।

अप्रार्थी 06 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के द्वारा कथित तर्को का खण्डन करते हुए, अपने द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांकित 05.12.2002 पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ठ कराते हुए यह निवेदन किया कि समान वादग्रस्त आराजीयात का पत्थरगढी आदेश प्रार्थी पूर्व में प्राप्त कर चुका है, जिसकी पालना में दिनांक 05.12.2002 पर भूमि की नपती हो चुकी है। प्रार्थी एक ही वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी दुबारा कराना चाहता है, जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने दफा 11 जा.दी. में वर्णित प्रावधानो का उलन्घन कर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.24 12:59:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थनापत्र को सव्यय अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

मैने विद्वान अभिभाषकगणों के प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 में इसका स्पष्ठ उल्लेख है कि "कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिसमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उसमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।" अतः यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थनापत्र सी.पी.सी. की धारा 11 प्रावधान अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फलिगाकलाँ (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.24 12:59:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner